न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 130 / 2021 (Bank Case)
GCMS No. 2021/ 278

मैसर्स रेलीगेयर हॉउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,रजिस्टर्ड कार्यालय– 14, 45/90, p-Block, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi-110001, also at Central Office- 1st floor, Prius Global Tower, A-3,4,5, Sector-125, Noida-201301 जरिये प्राधिकृत अधिकारी Mr. Dhruv Khanna
– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. Santok Singh S/o Hari Singh, Survey No. 595, HariomNagar, Kota, Rajasthan Also at :- 597, Hariom Basti, Rangabadi, Kota, Rajasthan (ऋणी / बन्धनकर्ता)
2. Guddi W/o Santok Singh, Santok Survey No. 595, Harion Nagar, Kota, Rajasthan Also at :- 597, Hariom Basti, Rangabadi, Kota, Rajasthan
– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 12. 01.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय– 14, 45/90, p-Block, 1st Floor, Connaught Place, New Delhi- 110001, also at Central Office- 1st floor, Prius Global Tower, A-3,4,5, Sector-125, Noida-201301 में स्थित है से अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 ने दिनांक 29.08.2018 को रूपये 9,00,000/–(अक्षरेः रूपये नो लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति** All Piece And Parcel Of Plot Bearing Survey No. 595, Hariom Nagar, Kota, Rajasthan. Measuring- 109.35 Sq Yds. East: House of Mangi Lal, West:Road, North: House of Prabhu Lal, South: House of Badri lal Suman **का मकान है, जो कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी नियमन–आवंटन/अधिकार पत्र क्रमाक/232/149 दिनांक 12.02.2013 से संतोक सिंह के नाम से जारीशुदा है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 31.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 8,97,331.58/–(अक्षरे रूपये आठ लाख, सतानवें हजार, तीन सौ इकतीस एवं अठावन पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 24.06.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 29.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 29.06.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.06.2021 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति** All Piece And Parcel Of Plot Bearing Survey No. 595, Hariom Nagar, Kota, Rajasthan. Measuring- 109.35 Sq Yds. East: House of Mangi Lal, West:Road, North: House of Prabhu Lal, South: House of Badri lal Suman **का मकान है, जो कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी नियमन–आवंटन / अधिकार पत्र क्रमाक / 232 / 149 दिनांक 12.02.2013 से संतोक सिंह के नाम से जारीशुदा है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12 .01.2022 को सुनाया गया।

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)